परिशिष्ट-III / Appendix -III

सिडबी - सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए जोखिम भागीदारी पुनर्वित्त योजना
SIDBI - Risk Sharing Refinance Scheme for Micro and Small Enterprises

क्र.सं. Sl. No.	मद विवरण Particulars	ब्यौरा / Details
1	योजना / Scheme	सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए जोखिम भागीदारी पुनर्वित्त योजना **(**आरएमएसई-एक्स-आरएसआरएस**)** Risk Sharing Refinance Scheme for Micro and Small Enterprises (RMSE-X-RSRS)
2	योजना का उद्देश्य/ Objective of the Scheme	सिडबी**,** सूक्ष्म व लघु उद्यमों के लिए अपनी जोखिम भागीदारी पुनर्वित्त योजना के तहत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एमएसई रिफाइनेंस फंड (एमआरएफ़**)** के तहत किए गए आवंटन में से सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई**)** को बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों के प्रतिस्वरूप विभिन्न बैंकों को पुनर्वित्त प्रदान कर रहा है। योजना का समग्र उद्देश्य निम्नवत है: • एमएसई पुनर्वित्त कोष का लाभ लेते हुए नए उधारकर्ताओं / उद्यमों के सहायता प्रवाह में वृद्धि। • अच्छा प्रदर्शन करने वाले बैंकों की जोखिम वहन क्षमता को बढ़ाने के लिए एमएसई संविभाग से हानि का एक हिस्सा साझा करके एमएसई संविभाग के निर्माण में प्रेरणा देना। • यह प्रयास किया जाए कि इस योजना के तहत शामिल किए गए पोर्टफोलियो का कम से कम 25% पुनर्वित्त का उपयोग बैंक के नए ग्राहक (कों) को सहायता प्रदान करने के लिए किया जाएगा। SIDBI is providing refinance to various banks against loans extended by banks to Micro and Small Enterprises (MSEs) out of allocation made by RBI towards MSE Refinance Fund (MRF) under its Scheme of Risk Sharing Refinance Scheme for Micro and Small Enterprises. The overall objective of the Scheme is to: • Leveraging MSE Refinance Fund for enhanced flow of assistance to new borrowers / enterprises. • Motivating well performing banks to increase risk appetite for creation of MSE portfolio by sharing a portion of loss from MSE portfolio. • It shall be endeavoured that at least 25% of the portfolio covered / refinanced shall comprise assistance to new customer(s) of the refinanced bank(s).
3	पात्र संस्थान / Eligible Prime	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक जो निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करते हैं:

	Lending Institutions (PLIs)	• 3 साल की अवधि से परिचालनरत होना चाहिए। • पिछले 3 वर्षों में और चालू वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान शुद्ध लाभ अर्जित करना चाहिए। • `25000 करोड़ का न्यूनतम ऋण और अग्रिम संविभाग होना चाहिए और एमएसएमई पोर्टफोलियो का आकार `5000 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए। • अंतिम लेखापरीक्षित बैलेंस शीट में सुदृढ़ वित्तीय स्थिति होनी चाहिए, अर्थात (i) निवल मालियत `500 करोड़ से कम नहीं हो, (ii) जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) 9% से कम नहीं होना चाहिए ; तथा (iii) नवीनतम लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय परिणामों के आधार पर सकल एनपीए 5% से अधिक नहीं होना चाहिए। *प्रकरण-दर-प्रकरण आधार पर मानदंडों में छूट दी जा सकती है।* Scheduled Commercial Banks meeting the following criteria: • In operation for a period of 3 years. • Earned net profit during the last 3 years and last quarter of the current financial year. • Minimum Loan and Advance Portfolio of `25000 crore and MSME Portfolio size not less than `5000 crore. • Strong fundamentals based on last audited balance sheet viz. (i) net worth of not less than `500 crore (ii) capital to risk weighted assets (CRAR) of not less than 9%; and (iii) gross NPA based on the latest audited Annual Financial Results should not be more than 5%. *Criterion may be relaxed on merit on case to case basis.*
4	पात्र गतिविधियाँ Eligible activities	सिडबी अधिनियम की धारा 2(एच) में दी गई परिभाषा के अनुसार As defined in Section 2(h) of SIDBI Act.
5	पात्र अंतिम उधारकर्ता Eligible end-borrowers	योजना के अन्तर्गत इकाइयाँ आवेदक बैंक के लिए "नई उधारकर्ता / उद्यम" होंगी और भारत सरकार राजपत्र अधिसूचना S.O.2119 (ई) दिनांक 26 जून, 2020 में निहित परिभाषा के अनुसार सूक्ष्म और लघु उद्यमों की परिभाषा को पूरा करेगी। इस योजना के लिए "नए उधारकर्ता / उद्यम" की परिभाषा से तात्पर्य निम्नलिखित में से किसी एक को पूरा करना होगा : a) एमएसई की पूर्व में कोई बैंक उधारी नहीं है। b) पुनर्वित्त लेने वाली बैंक द्वारा संबंधित एमएसई को पहली बार कोई सावधि ऋण सुविधा या कार्यशील पूंजी प्रदान की गई हो।

		c) मौजूदा एमएसई ग्राहक जो विस्तार / विविधीकरण के माध्यम से एक नया उद्यम स्थापित कर रहे हों (इस प्रक्रियारत परियोजना के चलते ऐसी एमएसई इकाई भी शामिल होगी, जो एमएसई से परे जा रही हो)। *<u>ध्यान दें:</u>* • *यह प्रयास किया जाए कि योजना के तहत कवर किए गए / पुनर्वित्त किए गए पोर्टफोलियो के कम से कम 25% (या अन्य उच्चतर अनुपात जैसा कि सिडबी निर्दिष्ट कर सकता है) नए ग्राहकों ऊपर दिये गए a) और b) श्रेणी से होने चाहिए।* • *दूसरे बैंक से ऋण अधिग्रहण के मामलों को शामिल नहीं किया जा सकता है।* The units covered shall be "*new borrowers / enterprises*" for the applicant bank and shall satisfy the definition of micro & small enterprises as per definition contained in government of India Gazette Notification S.O.2119(E) dated June 26, 2020. The definition of ***"new borrower / enterprise"*** for the scheme shall be those meeting any of the following: a) MSEs having no earlier bank credit. b) MSE being extended credit facility i.e. either term loan or working capital for the first time by the refinanced bank. c)Existing MSE customers setting up a new enterprise by way of expansion / diversification (including those graduating beyond MSE under the project in the process). *<u>Note:</u>* • *It shall be endeavored that at least 25% (or such other higher proportion as SIDBI may specify) of the portfolio covered / refinanced under the scheme shall comprise assistance to new customers (s) of the refinanced bank(s) as defined at Sr. No. a) & b) above.* • *Cases involving takeover of loans from another bank cannot be covered.*
6	बैंक द्वारा अंतिम उधारकर्ताओं को उधार-दर Final lending rate to end-borrowers by banks.	बैंकों द्वारा अंतिम उधारकर्ता को प्रभारित ब्याज की दर, सिडबी से मिलने वाली पुनर्वित्त सहायता पर लगने वाले ब्याज से 465 बीपीएस अधिक के मार्जिन तक ही होगी। Lending rate by the banks to the end-borrower shall be kept with a margin up to 465 bps over and above the interest rate at which they get refinance from SIDBI.
7	पुनर्वित्त की रूपरेखा Modalities of refinance	**<u>मौजूदा आस्तियों पर सहायता :</u>** पुनर्वित्त, मौजूदा आस्तियों पर प्रतिपूर्ति के आधार पर उपलब्ध होगा। पात्र गतिविधियों के लिए ऋणों और अग्रिमों (जैसे - सावधि ऋण और कार्यशील पूंजीगत अग्रिम) के बकाया संविभाग के समतुल्य राशि, जिसमें बैंक द्वारा पुनर्वित्त के लिए आवेदन की तारीख से पहले 12 महीने तक मौजूदा / नए एमएसई को ऋणों का संवितरण किया गया है, बशर्ते

		कि इस व्यवस्था के तहत प्रतिपक्षी जोखिम-राशि सीमा नियत की गई हो। **<u>वृद्धिशील आस्तियों के सृजन के लिए सहायता :</u>** बैंक द्वारा अपने आवेदन पर अनुमानित उपयोग का संकेत किए जाने पर इस सुविधा के अंतर्गत रियायती निधि की प्रतिबद्धता की जाएगी। ऐसी प्रतिबद्धता आम तौर पर 3 से 6 महीने के लिए मान्य होगी। **<u>Assistance against existing assets</u>**: Refinance will be on reimbursement basis against existing eligible assets. Amount equivalent to outstanding portfolio of loans and advances (i.e. Terms Loans / Working Capital advances) for eligible activities, where loans disbursed by banks during the previous 12 months as on the date of application for refinance subject to counter party exposure limit fixed under this dispensation. **<u>Assistance for creation of Incremental assets</u>**: Commitment for funds under the facility will be given to banks against their application indicating the anticipated utilization. Such commitment would be generally valid for 3 to 6 months.
8	पुनर्वित्त की अवधि Period of refinance	तीन वर्ष तक या निधि की परिपक्वता तक जो भी पहले हो। Upto 3 years or the maturity of the Fund, whichever is earlier.
9	पुनर्वित्त पर ब्याज की दर Rate of interest on refinance	ब्याज की वर्तमान दर 3.90% p.a. है, जो बैंक दर और **भारिबैं के** दिशानिर्देशों में परिवर्तन के अध्यधीन है। Present rate of interest is 3.90% p.a., subject to change in Bank Rate and RBI guidelines.
10(a)	पुनर्वित्त का भुगतान Repayment of Refinance	मंजूरी की शर्तों के अनुसार। यदि भुगतान तिथि शनिवार/ रविवार/ परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत छुट्टियों के दिन पड़ती है, तब देय भुगतान की तिथि पूर्ववर्ती कार्यदिवस को माना जाएगा। As per Sanction terms. However, if the due date of repayment falls on Saturday/ Sunday or Holiday under N.I. Act, the due date would shift to preceding working day.
10(b)	बैंक द्वारा पुनर्वित्त पर सिडबी को ब्याज के भुगतान की आवधिकता। Periodicity for payment of interest by banks to SIDBI on refinance.	संवितरण की तिथि से प्रत्येक माह के दसवें दिन मासिक आधार पर देय अथवा मंजूरी की शर्तों के अनुसार। यदि भुगतान तिथि शनिवार/ रविवार/ परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत छुट्टियों के दिन पड़ती है, तब देय भुगतान की तिथि पूर्ववर्ती कार्यदिवस को माना जाएगा। Payable monthly on the tenth day of each month from date of disbursement OR as per sanction terms. However, if the due date of repayment falls on Saturday/ Sunday or Holiday under N.I. Act, the due date would shift to preceding working day.

11	पुनर्वित्त की समयपूर्व चुकौती Prepayment of refinance	बैंकों को समयपूर्व चुकौती करने की आवश्यकता तब होगी, जब अंतिम उधारकर्ता ने समयपूर्व चुकौती की हो / अंतिम उधारकर्ता का ऋण खाता पूरी तरह से बंद हो जाए, बैंक के बही में जो ऋण खाता समनुदेशित / प्रतिभूतिकृत किया गया है एवं कार्यशील पूंजी सीमा को घटा दिया गया हो । Banks will be required to prepay refinance forthwith *in respect of* borrower(s) who has (have) prepaid / fully closed the account(s), loan(s) which has (have) been assigned / securitized *or* working capital limit(s) reduced.
12	जोखिम भागीदारी की सीमा Extent of Risk Sharing	• सिडबी द्वारा पुनर्वित्त किए गए बैंक के एमएसई पोर्टफोलियो (समयपूर्व चुकौती / असाइनमेंट / सिक्योरिटीज / टेकओवर / वर्किंग कैपिटल लिमिट में कमी के बाद, यदि कोई हो, को हटाने के बाद) के सकल एनपीए से होने वाली हानि का 50%; बशर्ते ऋण हानि का अधिकतम 6% (जिसमें सिडबी का हिस्सा 3% तक सीमित होगा)। • किसी भी बिंदु पर भुगतान की गई कुल निपटान राशि को संबंधित बैंक से प्राप्त ब्याज के एक भाग, जिसकी गणना 1% प्रति वर्ष की दर से पुनर्वित्त बकाया पर की गई है, तक सीमित रहेगा। • दावे का निपटारा बैंक वार / पोर्टफोलियो आधार पर होगा। • बैंक द्वारा दोहरे दावों की संभावना से बचने के लिए, यदि पुनर्वित्त की अवधि के दौरान योजना के तहत एमएसई ऋण के लिए कोई क्रेडिट गारंटी कवर है, तो उससे मिलने वाली राशि को सिडबी द्वारा उठाई जाने वाली पोर्टफोलियो हानि के हिस्से से घटाने की आवश्यकता होगी। • 50% of loss arising from Gross NPA to the extent of 6% of MSE portfolio refinanced under the scheme subject to SIDBI's share not exceeding 3% of refinance disbursed against the portfolio after excluding prepayment / assignment / securitization / takeovers / reduction in working capital limit, if any. • The total settlement amount paid at any point will be capped at a part of interest received from the corresponding bank, computed at 1% p.a. on refinance outstanding. • The settlement of claim would be on bank-wise / portfolio basis. • In order to avoid possibility of dual claim by the bank, Credit Guarantee Cover, if any, to MSE loans under the Scheme, during the period of refinance, would be required to exclude the portion of portfolio loss to be borne by SIDBI.
13	जोखिम बंटवारे के संबंध में दावे का निपटान / Settlement of claim towards risk sharing	• तिमाही के रिपोर्टिंग प्रारूप के अनुसार कैलेंडर तिमाही के अंत में सिडबी की संतुष्टि के लिए पूरी जानकारी देने वाले बैंक के आधार पर तथा एनपीए के रूप में खाते को श्रेणीबद्ध करने की तिथि से न्यूनतम 180 दिनों के बाद दावे का निपटान पोर्टफोलियो के आधार पर होगा। • दावे को एनपीए की तारीख या तिमाही के अंत तक, जो भी कम हो, अतिदेय राशि के आधार पर निपटाया जाएगा, और अतिदेय राशि में केवल मूलधन और ब्याज बकाया शामिल होंगे।

		• सिडबी दावे के संबंध में निर्दिष्ट पूरी जानकारी प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर दावे का निपटान करेगा। • बैंक, जोखिम कवर बरकरार रखने के लिए पुनर्वित्त के समग्र काल के दौरान सिडबी को मूलधन / ब्याज की चुकौती समय पर सुनिश्चित करेगा। • केवल वे मामले, जो पुनर्वित्त की चालू अवधि के दौरान एनपीए हो जाते हैं और पुनर्वित्त की चालू अवधि के अंत तक कम से कम 180 दिनों तक एनपीए बने रहते हैं, उनके निपटान के लिए विचार किया जाएगा। • पुनर्वित्त सहायता की कालावधि की समाप्ति के बाद अधिकतम अवधि 365 दिनों तक बैंकों द्वारा प्रस्तुत अंतिम दावे के आधार पर किया गया जोखिम निपटान अंतिम होगा और इसके बाद इसमें होने वाली किसी भी वसूली या अतिदेय में योग का इस जोखिम निपटान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके बाद किसी भी दावे या धनवापसी पर विचार नहीं किया जाएगा। • The settlement of claim would be on portfolio basis after a minimum period of 180 days from the date of categorizing the account as NPA based on the bank submitting complete information to the satisfaction of SIDBI, at the end of calendar quarter as per the quarterly reporting format. • The claim will be settled on the basis of overdue amount as on date of NPA or the end of quarter, whichever is lower, and the overdue amount will only include principal and interest dues. • SIDBI will settle the claim within 30 days of receipt of complete information as specified with regard to the claim. • The bank will ensure timely repayments of principal / interest to SIDBI throughout the refinance tenure in order to keep the risk cover intact. • Only those cases which become NPA during the currency of refinance and continue to be NPA for at least 180 days as on the end of currency of refinance will be considered for settlement. • The risk settlement based on final claim submitted by the Banks up to a maximum period of 365 days after expiry of tenure of refinance assistance shall be final and any recovery or addition to overdues thereafter shall have no effect on risk settlement. No claim or refund would be entertained thereafter.
14	पुनर्वित्त के लिए प्रतिभूति / Security for Refinance	• बैंक द्वारा सभी प्रतिभूतियों को सिडबी की ओर से एक न्यासी के रूप में रखा जाएगा। इन प्रतिभूतियों में चल और अचल संपत्ति, बही ऋण, प्राप्य राशियाँ, कार्रवाई योग्य दावे, गारंटी, समनुदेशन, विनिमय विपत्र और उनकी प्राप्तियाँ तथा बैंक द्वारा अपने उधारकर्ताओं से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त की गई अथवा की जाने वाली अन्य सभी प्रतिभूतियाँ भी शामिल होंगी; जिन्हें बैंक द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गई है और जिसके प्रतिस्वरूप बैंक को सिडबी की ओर से ऋण मंजूर किया गया है।

		• बैंकों को इस सुविधा के तहत एमएसई को प्रदान किए गए `10 लाख तक के ऋण के लिए किसी भी तरह की संपार्श्विक प्रतिभूति नहीं ली जानी चाहिए । • The Bank shall hold in trust for SIDBI, all the securities including movable and immovable assets, book debts, receivables, actionable claims, guarantees, assignments, bills of exchange and proceed thereof as also other securities as may be directly or indirectly obtained or to be obtained by the bank from its borrowers to secure the financial assistance made available to the borrowers for which the loan has been sanctioned by SIDBI to the bank. • The banks should not seek any collateral for loans up to `10 lakh extended to MSEs under the facility.
15	अंतिम उपयोग का सत्यापन End use verification	सिडबी, अंतिम उपयोग का सत्यापन करने हेतु बैंक के कार्यालय / एमएसई उधारकर्ता के (नमूना आधार पर) दौरा / जांच करेगा। SIDBI shall undertake end use verification of the end-borrowers at bank's office / visit to the MSE units (on sample basis).
16	अन्य शर्तें एवं निबंधन Other terms and conditions	• प्रत्येक प्रस्ताव सिडबी की पुनर्वित्त योजना के तहत निर्धारित नीतियों, प्रक्रियाओं और दिशानिर्देशों के अनुरूप होंगे। • बैंक इस बात की पुष्टि करेगा कि इस योजना के तहत सिडबी को दिए गए विवरण में प्रस्तुत उधारकर्ताओं की सूची में पात्र संस्था / बैंक के गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए), धोखाधड़ी खाते, इरादतन चूककर्ता शामिल नहीं है, जो उधारकर्ता पहले ही बैंक के ब्याज या मूलधन का भुगतान करने में चूक कर चुका है और डिफ़ॉल्ट जारी है और बैंक ने उन उधारकर्ता खातों के संबंध में सिडबी की पुनर्वित्त सहायता सहित किसी भी संस्था से वित्तीय सहायता या किसी भी प्रकृति का लाभ नहीं उठाया है । • बैंक, पुनर्वित्त ऋणों के संबंध में सिडबी को आवश्यक सूचना प्रदान करेगा और पुनर्वित्त का एमएसई परपड़ने वाले प्रभाव को मापने के लिए भी सहायता प्रदान करेगा। • The individual proposals shall conform to the policies, procedures and guidelines laid down under the refinance scheme of SIDBI. • The bank shall confirm that the statement given to SIDBI indicating the list of its borrowers under the scheme does not contain the eligible institution's / Bank's Non-Performing Assets (NPA), Fraud accounts, wilful defaulters, and those accounts wherein the borrower has already defaulted in making payment of interest or principal to the bank and the default continues and that the bank has not availed financial support, whatsoever nature, from any institution, including refinance support from SIDBI, in respect of those borrower accounts. • The bank shall provide information as may be called in respect of refinanced loans and provide support to measure the impact on the MSEs.

****